

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), टोंक

क्रमांक: AR/TONK/2023/054799

दिनांक: 11/06/2023

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/TON/0006544

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशेण सहित प्राप्त निम्न आंधी तूफान के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 NDM-1 दिनांक 10.10.2022 अवधि 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आंधी तूफान से पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता करूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
---------	--------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------

- 13

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

1	AR/TONK/ 2023/0547 99	नाम: SITARAM BAIRWAपिता का नाम: MOHAN LAL BAIRWAजिला: टोंक	01, बार्ड न 9, देवली, पंचायत समिति-देवली, ग्राम पंचायत-टोडा का गोठड़ा, गांव - धन्ना का झोंपड़ा	25/05/2023	आंधी तूफान	जिले में दिनांक 25-26 मई, 2023 को आंधी-अंधड़ तूफान से हुई आर्थिक क्षति के प्रकरण श्री सीताराम बैरवा पुत्र श्री मोहन लाल बैरवा निवासी ग्राम धन्नाई का झोंपड़ा ग्रा.प. टोडा का गोठड़ा तहसील देवली जिला टोंक में तहसीलदार देवली, गिरदावर एवं पटवारी की संयुक्त जांच रिपोर्ट एवं संलग्न तकमीना रिपोर्ट अनुसार मकान से जुड़ा मवेशी शेड की 15% से अधिक क्षति होने तथा तहसीलदार देवली द्वारा की गई अभियेक्षा के आधार पर एसडीआरएफ/एनडीआरएफ नोक्स परिपत्र क्रमांक 33-03/2020-एनडीएम-1 दिनांक 10.10.2022 के बिन्दु संख्या 10 (ड.) के अन्तर्गत आपदा से प्रभावित आवेदक श्री सीताराम बैरवा पुत्र श्री मोहन लाल बैरवा को आर्थिक सहायता राशि रु. 3000 की स्वीकृति प्रदान करने बाबत	3000
योग							3000



आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-02-113-(09)-[07]-12

प्रतिनिधि -निम्नान्कितों को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सभागीय आयुक्त.....
3. जिला कलेक्टर, टोंक।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, टोंक।
7. रोकडपाल (सहायता शाखा) कार्यालय राजा

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
टोंक

प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
टोंक